राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषयः— दिनांक 11—12 सितम्बर, 2024 को जिला प्रभारी मंत्रिगण के दौरा/भ्रमण के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जिला प्रभारी मंत्रिगण को दिनांक 11—12 सितम्बर, 2024 को अपनी सुविधानुसार प्रभार वाले जिले/जिलों का दौरा कर निम्नानुसार कार्यों की समीक्षा किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैः—

1.	बजट घोषणाओं के तहत कराये जाने वाले कार्यों के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा।
2.	वर्षा/अतिवृष्टि के कारण
	I. सडकों, स्कूलों एवं अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव जिले द्वारा तैयार कर राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने की स्थिति की समीक्षा। II. एनिकट, नहरों एवं अन्य सरकारी सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव जिले द्वारा तैयार कर राज्य स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने की स्थिति की समीक्षा। III. वर्षा के कारण खराब हुई फसलों की गिरदावरी की स्थिति की समीक्षा। IV. जिन स्थानों पर वर्षा जल के भराव के कारण अभी तक समस्या बनी हुई है. उन स्थानों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा।
3.	17 सितम्बर को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा।
4.	जिले में विभिन्न विभागों के जिन कार्यों का लोकार्पण/शिलान्यास/उद्घाटन तत्काल किया जा सकता है, उनकी सूची बनाकर समीक्षा।
5.	प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों इत्यादि के लिए 3 करोड रुपए की स्वीकृति की घोषणा के पेटे एस्टीमेट तैयार कर राज्य स्तर को प्रेषित किये जाने की स्थिति की समीक्षा।

अतः कृपया मा0 मंत्री महोदय को भ्रमण के दौरान उपरोक्तानुसार कार्यों की समीक्षा की सुनिश्चितता हेतु अनुरोध करने का श्रम करें। साथ ही प्रत्येक बिन्दु पर मंत्री महोदय के स्तर पर हुई समीक्षा की रिपोर्ट दौरे के तुरन्त बाद सीधे ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाने तथा एक प्रति इस सचिवालय को भिजवाने का अनुरोध करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

08.09.2024

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

विशिष्ट सहायक/निजी सचिव
समस्त उप मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्य मंत्री

अशा.टीप क्रमांक प. 11(31)मं.म/2024
जयपुर, दिनांकः 08.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3. संबंधित जिला कलक्टर्स को प्रेषित कर लेख है कि कृपया प्रभारी मंत्रिगण से सम्पर्क एवं समन्वय कर कार्यक्रम का आयोजन करावें ।
4. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग ।
5. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग ।

शासन सचिव